भारत सरकार

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 248

बुधवार, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत धन निकासी के नियम

248. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) समय से पहले धन निकासी को रोकने और सदस्य की आयु 50 वर्ष होने तक कुल अंशदान की कम से कम 10 प्रतिशत राशि को जमा रखने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह प्रतिबंध इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाताओं को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा कवच पहले से ही तैयार मिले; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 238

बुधवार,25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 (शक)

कम लागत वाले आवास के लिए ईपीएफओ निधियां

श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कम लागत वाले आवास के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निधियों का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कम लागत वाले आवास के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निधियों के इस्तेमाल पर गौर करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 19.12.2014 को सम्पन्न अपनी 205वीं बैठक में निधि के सदस्यों को आवास प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1056

बुधवार 04 मार्च, 2015/ 13 फाल्गुन, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जाना

1056.श्री विजय गोयल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की संख्या क्या है;

(ख) क्या ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के खातों को अद्यतन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो खातों के कब तक अद्यतन होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की संख्या 117813454 है।

(ख) से (घ) ईपीएफओ ने दिनांक 24.02.2015 की स्थिति के अनुसार कुल खातों का लगभग 99.52% अद्यतन किया है। शेष खाते संभवत: दिनांक 31.03.2015 तक अद्यतन किए जाने की संभावना है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1534

बुधवार, 11 मार्च, 2015/20 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की तुलना में देयताओं की अधिकता

1534. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 न सिर्फ परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक देयताओं का सामना कर रहा है बल्कि यह अन्तराल बढ़ता ही जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़ते अन्तराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) मूल्यांकन तारीख 31.03.2012, 31.03.2013 तथा 31.03.2014 के लिए बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना निधि में घाटा क्रमश: 10,855.33 करोड़, 6,712.96 करोड़ तथा 7,832.74 करोड़ रूपये था।

इसके अतिरिक्त बीमांकक द्वारा रिपोर्ट की गई है कि 31.03.2012, 31.03.2013 तथा 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार वर्तमान मूल्य के अनुसार घाटा क्रमश: 4%, 2.00% तथा 2.50% से कम है तथा यह चिंता का विषय नहीं है।

(ख) बीमांकन द्वारा निर्धारित अनुसार गत तीन वर्षों के परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में परिसंपत्तियों और देयताओं के मध्य बढ़ते हुए अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) निधि की सदस्यता को केवल सदस्यता में प्रवेश करने के समय 15000/- रूपये प्रति माह की अधिकतम वेतन सीमा या इससे कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सीमित किया गया है।

(ii) अधिकतम वेतन सीमा से अधिक वेतन होने पर सदस्य तथा नियोक्ता के संयुक्त विकल्प पर ईपीएस में अंशदान हेतु उपलब्ध व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार ईपीएस निधि पर देयता सीमित हो गई है।

(iii) सरकार से 1.16% का अंशदान भी अधिकतम वेतन सीमा से कम तथा केवल 15000/- रूपये तक के वेतन पर योजना में शामिल होने वाले कामगारों तक सीमित किया गया है।

(iv) 01.09.2014 से बढ़ी हुई अधिकतम वेतन सीमा (6500/- रूपये प्रति माह से 15000/- रूपये प्रति माह) को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभों की गणना अधिकतम वेतन सीमा में वृद्धि से पहले की सेवा तथा तत्पश्चात लाभों के किसी अवांछित लीकेज से सुरक्षा पर विचार करते हुए भावी देयों तथा समानुपातिक आधार पर की जाती है।

(v) पेंशन योग्य वेतन की गणना, जो लाभ की गणना में एक घटक है, पूर्व में लागू 12 माह के वेतन के औसत के स्थान पर गत 5 वर्षों के औसत पर आधारित है।

*

***

अनुबंध

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की तुलना में देयताओं की अधिकता के संबंध में श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा दिनांक 11.03.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1534 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

मूल्यांकन के संक्षिप्त परिणाम			
विवरण	**31.03.2012**	**31.03.2013**	**31.03.2014**
देयताओं का वर्तमान मूल्य (करोड़ में)-[क]	3,22,602.79	3,43,044.07	3,86,222.54
भावी अंशदान का वर्तमान मूल्य (करोड़ में)-[ख]	1,49,967.38	1,52,925.75	1,70,704.21
निधि/परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ में)-[ग]	1,61,780.08	1,83,405.36	2,07,685.60
निवल देयता (करोड़ में) - [घ] = क-(ख+ग)	**- 10,855.33**	**- 6.712.96**	**- 7,832.74**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1532

बुधवार, 11 मार्च, 2015/20 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएस-95 के तहत पेंशन के लिए आयु-सीमा

1532. डा. के. पी. रामालिंगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तय किए गए मूल्य के अनुसार निवल देयता या घाटा 31 मार्च, 2012 के अनुसार 10,855 करोड़ रुपये, 31 मार्च, 2013 के अनुसार 6712.46 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2014 के अनुसार 7832.74 करोड़ रुपये थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईपीएस-95 के तहत पेंशन के लिए आयु-सीमा बढ़ाने पर पेंशन निधियों के घाटे में कमी आएगी और सदस्यों के पेंशन लाभों में वृद्धि होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयु-सीमा बढ़ाने से पेंशन निधियों के घाटे में 27,067 करोड़ रुपये तक की कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, हां।

(ख) से (घ): सरकार द्वारा 2009 में नियुक्त कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 संबंधी विशेषज्ञ समिति के बीमांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 के अंतर्गत पेंशन हेतु आयु सीमा बढ़ाने से पेंशन निधि के घाटे में 27,067 करोड़ रूपये तक की कमी का अनुमान लगाया गया था। बीमांकक द्वारा 2010 में घाटे में कमी का अनुमान उस समय के आंकड़ों तथा अवस्थाओं पर आधारित था।

यदि सदस्य वर्धित आयु सीमा की अवधि के दौरान अंशदान जारी रखते हैं, तो पेंशन राशि समानुपातिक ढंग से बढ़ जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1523

बुधवार, 11 मार्च, 2015/20 फाल्गुन, 1936 (शक)

ईपीएफओ द्वारा लाभार्थियों को बिना दावे वाली धनराशि लौटाया जाना

1523. श्री अरविन्द कुमार सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) में बिना दावे की 27000 करोड़ रुपये की राशि को इसके लाभार्थियों को लौटाने की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक चिन्हित खाता धारकों/लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और उन्हें अब तक कितनी धनराशि लौटाई गई है; और

(घ) ईपीएफओ के सभी अदावी खाताधारकों को कब तक चिन्हित किए जाने का लक्ष्य है और निधियों को कब तक वापस लौटा दिया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में बिना दावे की कोई राशि नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय उन खातों को 'अप्रयुक्त खातों' के रुप में वर्गीकृत किया जाता है जिनमें लगातार 36 माह से कोई अंशदान जमा नहीं किया जा रहा हो। तथापि, ऐसे सभी अप्रयुक्त खातों के निश्चित दावेदार हैं। 16 अक्टूबर, 2014 को आयोजित श्रमेव जयते कार्यक्रम के अवसर पर यह घोषणा की गई थी कि भविष्य निधि में संचित राशि जो अप्रयुक्त हो गई है निश्चित दावेदारों को लौटाई जाएगी।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अप्रयुक्त खातों की संख्या का अलग से अनुरक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, 2013-14 में अप्रयुक्त खातों से संवितरित राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध पर है।

(घ): इस उद्देश्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, अप्रयुक्त खातों के खाता धारकों की पहचान करने और भविष्य निधि में संचित राशि को सही दावेदार को लौटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में 'अप्रयुक्त खातों से संबंधित ऑनलाईन हैल्प डेस्क' नामक पोर्टल शुरु किया है ताकि सदस्यों को अपने अप्रयुक्त खातों की पहचान करने में सहायता मिल सके।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने क्षेत्र कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि अप्रयुक्त खातों संबंधी मामलों को प्राथमिकता आधार पर हल किया जा सके और नियोक्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को एक सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) आबंटित किया है जिससे नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सदस्यों की पहचान करना संभव हो। यूएएन से सभी पुराने खातों की पोर्टेबिलिटी एवं समेकन करने में भी सहायता मिलेगी।

(iv) सदस्यों को शिक्षित करने के उद्देश्य से समय-समय पर इलैक्ट्रॉनिक के साथ-साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

* ******

अनुबंध

ईपीएफओ द्वारा लाभार्थियों को बिना दावे वाली धनराशि लौटाए जाने से संबंधित श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं श्री नीरज शेखर द्वारा दिनांक 11.3.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1523 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2013-14 में अप्रयुक्त खातों से संवितरित राशि का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.सं	.राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	2,94,84,22,466.00
2	बिहार	5,69,63,88,264.00
3	छतीसगढ	34,47,54,451.00
4	दिल्ली	3,13,96,86,002.00
5	गोवा	22,69,39,587.00
6	गुजरात (दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सहित)	2,01,92,48,501.00
7	हरियाणा	1,87,75,30,180.00
8	हिमाचल प्रदेश	30,54,24,866.00
9	झारखंड	1,08,41,33,070.00
10	कर्नाटक	3,41,98,87,836.00
11	केरल (लक्षद्वीप सहित)	69,45,78,837.00
12	मध्य प्रदेश	1,03,37,58,771.00
13	महाराष्ट्र	4,72,20,61,711.00
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड , मणिपुर और मिजोरम राज्य	0.00
15	ओडिशा	1,28,44,97,152.00
16	पंजाब (चंडीगढ़ संघ क्षेत्र सहित)	1,47,92,29,317.00
17	राजस्थान	1,20,31,34,347.00
18	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	3,21,31,10,144.00
19	उत्तराखंड	15,27,57,692.00
20	उत्तर प्रदेश	2,26,52,76,870.00
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सहित)	6,05,62,59,868.00
	अखिल भारत कुल	**43,16,70,79,932.00**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1519

बुधवार, 11 मार्च, 2015/ 20 फाल्गुन, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास पंजीकरण कराने को सरल बनाया जाना

1519. श्री अविनाश पांडे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास पंजीकरण कराने में लगने वाले समय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या अनुपालन की प्रक्रियाओं में आने वाले गतिरोधों को चिन्हित कर लिया गया है; और

(ग) उक्त गतिरोधों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुपालन के गतिरोधों को संज्ञान में लिया है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआईसी) के पंजीकरण में लगने वाले समय में कटौती करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. ईपीएओ द्वारा नियोक्ताओं को स्थापनों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है, जो अब अपने स्थापनों को ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं तथा भविष्य निधि कूट संख्याएं तत्काल ऑनलाइन जनित कर सकते हैं।

2. इसी प्रकार, नियोक्ता ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नियोक्ता को पंजीकरण प्रमाण-पत्र पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा भेजा जाता है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 697

बुधवार 29 अप्रैल, 2015/ 9 वैशाख, 1937 (शक)

ईपीएफओ द्वारा इक्विटी में निवेश

697 श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वह इस बात की कानूनी रूप से जांच करेगा कि क्या नया निवेश पैटर्न संबंधी सरकार की अधिसूचना का अनुपालन उनके लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ इस बात का भी विश्लेषण कर रहा है कि क्या यह 1952 के योजना प्रावधानों के मद्देनजर इक्विटी में निवेश कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2 मार्च, 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचित सादृश्य नया निवेश पैटर्न को अनुमोदित किया है जिसमें निधि से संबंधित सभी वृद्धिशील संचयनों के शेयर और संबंधित उपकरणों (न्यूनतम 5%तथा 15% तक) में निवेश का प्रावधान है।

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 707

बुधवार 29 अप्रैल, 2015/ 9 वैशाख, 1937 (शक)

दावारहित ईपीएफओ निधियां

707. श्री डी राजा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणाओं की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की दावारहित निधियों को प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा और दूसरी बात, कम मजदूरी कमाने वालों को भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना में से कोई एक चुनने का अवसर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक दावा रहित अनुमानित निधियां कितनी हैं, दावेदार नहीं होने के मुख्य कारण क्या हैं और ऐसे मृत अंशदाताओं, जिन्होंने किसी को नामजद नहीं किया है, कि आश्रितों के लिए बिना किसी परेशानी के दावा करने के लिए उठाये जाने वाले कदम कौन-कौन से हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निधि पड़ी लगभग 6000 करोड़ रुपये की गैर-दावा जमा राशि तथा सार्वजनिक भविष्य निधि(पीपीएफ) में 3000 करोड़ रुपये की इन राशियों को ऐसी निधि में विनियोजन हेतु वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के सृजन का प्रस्ताव दिया है जिसका प्रयोग वृद्ध पेंशनधारकों,

बीपीएल कार्डधारकों, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य जैसे असुरक्षित समूहों को प्रीमियमों में छूट देने के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, ईपीएफ के संबंध में, बजट भाषण में कर्मचारी को ईपीएफ या न्यू पेंशन स्कीम(एनपीएस) का चुनाव करने के विकल्प प्रदान करने का उल्लेख है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों द्वारा किए गए अंशदानों और जमा-राशियों की निधि का रख-रखाव करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार, कर्मचारी/सदस्य किसी भी समय राशि का दावा करने के लिए स्वतंत्र है। ईपीएफओ "निष्क्रिय खातों" का रिकार्ड रखता है जिन्हें "वे खाते जिनमें पिछले 3 वर्ष या अधिक समय से कोई जमा/आहरण नहीं किया गया है" के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत, उक्त निधि का रख-रखाव ईपीएफओ द्वारा "न्यासी" के रूप में किया जाता है।

कर्मचारियों को ईपीएफ या नई पेंशन स्कीम(एनपीएस) को चुनने के विकल्प प्रदान करने के लिए बजट घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन अपेक्षित है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन में शामिल किया गया है।

(ग): ईपीएफओ के 2013-14 के वार्षिक लेखों के अनुसार, 27,448.54 करोड़ रुपये की राशि निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत की गयी है।

इन सभी खातों के वैध दावेदार हैं। पिछले तीन वर्षों में निष्क्रिय खातों से दावेदारों को किए गए भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2011-12	955.51
2012-13	2890.40
2013-14	4316.71

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 70(iii) के अनुसार, किसी नामांकन या परिवार के सदस्यों के जीवित न रहने के मामले में, समस्त राशि इसके कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को देय होगी। *****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 687

बुधवार, 29 अप्रैल, 2015/9 वैशाख, 1937(शक)

ई.पी.एफ.ओ. में निष्क्रिय खाते

687. श्री माजीद मेमन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऐसे खाता धारकों की वास्तविक संख्या का पता लगाया है जिनके पैसे विभिन्न बैंकों में काफी लम्बे समय से निष्क्रिय खातों में पड़े हैं;

(ख) बंद पड़े खातों में खाताधारकों की कुल कितनी धनराशि पड़ी है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे खाता धारकों और निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि का पता लगाने के लिए कोई अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निष्क्रिय खाताधारकों की संख्या के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख): वर्ष 2013-14 के ईपीएफओ के वार्षिक खातों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के निष्क्रिय खातों में 27,448.54 करोड़ रूपये की राशि पड़ी है।

(ग): ईपीएफओ द्वारा निष्क्रिय खाताधारकों की पहचान करने तथा असली दावेदारों को भविष्य निधि में जमा राशि लौटाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) ईपीएफओ ने हाल ही में सदस्यों की अपने निष्क्रिय खातों की पहचान करने में सहायता हेतु 'निष्क्रिय खाता ऑनलाइन सहायता डेस्क' नामक पोर्टल प्रारम्भ किया है।

(ii) संगठन के फील्ड कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर निष्क्रिय खातों को समाहित करने तथा नियोक्ताओं के माध्यम से और लाभार्थियों की पहचान करने के निदेश जारी किए गए हैं।

(iii) नियोक्ताओं की मध्यस्थता के बिना सदस्यों की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) नामक विशिष्ट, स्थायी संख्याओं का आबंटन किया है।

(iv) सदस्यों को इस बारे में जानकारी देने के लिए समय-समय पर इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

बुधवार,29 अप्रैल, 2015/9 वैशाख, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि और नई पेंशन योजना के अंतर्गत कम वेतन भोगी श्रमिक

629. श्री एस. थंगावेलु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कम वेतन भोगी श्रमिकों को भविष्य निधि और नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने देने पर विचार कर रही है;
(ख) क्या यह भी सच है कि यदि सरकार उपर्युक्त प्रस्ताव पर अमल करती है तो कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के दायरे से बाहर हो जाएगा;
(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिशत के मामले में कम वेतन पाने वाले श्रमिक, बेहतर पगार पाने वाले श्रमिकों से अधिक की कटौती झेलते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में से कोई एक विकल्प प्रदान करने का एक प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के तहत शामिल किया गया है।

(ख): इस संशोधन के प्रभाव का आकलन इस समय नहीं किया जा सकता। यह संशोधन के पश्चात सदस्यों द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि अंशदान की दर कम वेतन प्राप्त करने वाले एवं अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कामगारों दोनों के लिए समान है। यह एक सामान्य बात है कि कम वेतन प्राप्त करने वाले एवं अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कामगारों के बीच अंशदान की राशि में अंतर होगा। इस अंशदान से निश्चित रुप से कम वेतन प्राप्त करने वाले कामगार अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कामगारों की तुलना में अधिक प्रभावित होंगे।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 67

बुधवार, 29 अप्रैल, 2015/ वैशाख 9, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के
अन्तर्गत पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण करने के लिए सूत्र

*67. **श्री एस. थंगावेलु:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बारह महीने की बजाए साठ महीने के औसत मासिक वेतन की गणना करके पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण करने के सूत्र में परिवर्तन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि से आहरण को सीमित करने पर भी विचार कर रहा है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड अंशदाताओं को 58 वर्ष के पश्चात पेंशन संदाय के मानक को दो वर्ष तक आस्थगित करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण करने के लिए सूत्र से संबंधित श्री एस. थंगावेलु द्वारा दिनांक 29.04.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन योग्य सेवा के निर्धारण संबंधी सूत्र को राजपत्र अधिसूचना संख्या 609 (अ) दिनांक 22.08.2014 द्वारा संशोधित कर दिया गया है जिसमें पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण सदस्यता/रोजगार से हटने की तारीख से पहले 60 माह के औसत वेतन के आधार पर किया जाता है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सामाजिक सुरक्षा छत्र के नीचे रहें और सेवा निवृत्ति के समय उनके पास समुचित निधि हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सभी हितधारकों से भविष्य निधि से निकासी के प्रतिबंध पर विचार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने इस मुद्दे पर दिनांक 11.03.2015 को हुई अपनी 206वीं बैठक में विचार किया है तथा पेंशन निकासी के स्थगन की आयु को सदस्य के विकल्प के आधार पर स्थगन के प्रत्येक वर्ष के संबंध में 4 प्रतिशत के लाभ के साथ 58 से 60 वर्ष करने की सिफारिश की है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 684

बुधवार,29 अप्रैल, 2015/9 वैशाख, 1937 (शक)

ईपीएफ को शासित करने वाले कानून

684. श्री एस. वेंगावेलु:
श्री डी. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि को शासित करने वाले कानूनों में व्यापक बदलाव लाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार नियोक्ता की हिस्सेदारी को बरकरार रखते हुए कतिपय मामलों में कर्मचारियों की ओर से किए जाने वाले 12 प्रतिशत के आवश्यक अंशदान को भी खत्म करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में व्यापक संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज हेतु न्यूनतम सीमा को 20 से घटाकर 10 कर्मचारी करना, अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुसूची को हटाने, वेतन की परिभाषा का सरलीकरण आदि तथा बहु-सदस्यीय ईपीएफ अपीलीय प्राधिकरण, "लघु स्थापनों" (40 व्यक्तियों तक को नियोजित करने वाली) की एक नई श्रेणी, राष्ट्रीय पेंशन पद्धति का विकल्प चुनने वाले स्थापन/वर्ग के स्थापन/कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के वर्ग का अपवर्जन आदि शामिल है।

(ग) और (घ): अधिनियम में प्रस्तावित व्यापक संशोधन में ईपीएफ में अंशदान करने से कर्मचारियों की कतिपय श्रेणी को छूट देने का एक प्रस्ताव भी शामिल किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1153

बुधवार, 6 मई, 2015/16 वैशाख, 1937 (शक)

ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना को स्थगित रखा जाना

1153. श्री डी. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की न्यूनतम 1000 रुपये वाली मासिक पेंशन योजना को पहली अप्रैल, 2015 तक से स्थगित रखा गया है क्योंकि इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 सितम्बर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को 31 मार्च 2015 के बाद भी जारी रखने के लिए अधिसूचना के नवीकरण न किए जाने का क्या कारण है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान जिसे दिनांक 19.08.2014 के सा.का.नि. सं. 593 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था, वह केवल 2014-15 के लिए विधिमान्य था। तथापि, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 29.04.2015 को आयोजित अपनी बैठक में कुछ शर्तों के साथ 2014-15 के बाद भी ईपीएस, 1995 के तहत 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। ईपीएफओ को अप्रैल, 2015 माह से न्यूनतम पेंशन प्रावधान के साथ ईपीएस, 1995 के तहत मासिक पेंशन निर्गमन करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 112

बुधवार, 06 मई, 2015 / 16 वैशाख, 1937 (शक)

ई.पी.एफ.ओ. द्वारा विनिमय व्यापारिक निधि में किया जाने वाला निवेश

*112 डॉ. के.पी. रामालिंगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अपनी वृद्धिशील मूल निधि की कम से कम पांच प्रतिशत धनराशि को विनिमय व्यापारिक निधि में निवेश कराने का निदेश देने पर दृढ़ है; यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयास से जिसका श्रमिक संघों ने पुरजोर विरोध किया है, शेयर बाजार को 7,500 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

ई.पी.एफ.ओ. द्वारा विनिमय व्यापारिक निधि में किए जाने वाले निवेश के बारे में डॉ. के.पी. रामालिंगम द्वारा 06.05.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 31 मार्च, 2015 को हुई अपनी 207वीं बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा 2 मार्च, 2015 को अधिसूचित निवेश की नई पद्धति, 2015 पर विचार-विमर्श किया जिसमें इक्विटी एवं संबद्ध निवेश में न्यूनतम 5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत तक के निवेश का प्रावधान है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निधियों के लिए इसकी सिफारिश की है। तदनुसार, सरकार ने ईपीएफओं के लिए नई निवेश पद्धति अधिसूचित कर दी है जिसमें निधि से संबंधित सभी वृद्धिशील अभीवृद्धियों की इक्विटी एवं संबद्ध लिखतों में (न्यूनतम 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक) निवेश करने का प्रावधान है।

(ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जिसमें इसके सदस्यों में श्रमिक संघों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि तथा सरकारी प्रतिनिधि हैं, ने उपर्युक्त बैठक में विनिमय व्यापारिक निधि (ईटीएफ) में निवेश संबंधी मुद्दे की विस्तारपूर्वक जांच की तथा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, इक्विटी में निवेश के प्रस्ताव की सिफारिश की है। इससे स्टॉक मार्किट में सालाना 5000 करोड़ रुपये के निवेश की आशा है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1146

बुधवार 06 मई, 2015/ 16 वैशाख, 1937 (शक)

1146. श्री ए के सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना अथवा मौजूदा सेवानिवृत्ति निधि निकाय में निवेश करने का विकल्प देने हेतु कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में शीघ्र ही संशोधन करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार श्रमिक संघों जो यह महसूस करते हैं कि नई पेंशन योजना ईपीएफ का विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित संशोधनों से इस संगठन को गंभीर क्षति पहुंचेगी, से सख्त विरोध के बाद भी इसमें परिवर्तन करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के विचार क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ख): कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति(एनपीएस) के बीच विकल्प देने का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ): विभिन्न श्रमिक संघों ने अधिनियम में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन संबंधी त्रिपक्षीय परामर्श के दौरान उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में मुद्दे उठाए। बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1142

बुधवार, 6 मई, 2015/16 वैशाख, 1937(शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अधिकतम मजदूरी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना

1142. श्री प्रभात झा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के तहत अधिकतम मजदूरी व न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा एक श्रम सुविधा पोर्टल भी शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) एवं (ख): सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) दिनांक 22.08.2014 तथा सा.का.नि. 593(अ) दिनांक 19.08.2014 द्वारा क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी सीमा को 6,500/- रूपये से बढ़ाकर प्रति माह 15,000/- रूपये तथा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 2014 से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह 1,000/- रूपये कर दिया है।

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) दिनांक 22.08.2014 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक संगठित क्षेत्र के कामगार आ गए हैं। सा.का.नि. 593(अ) दिनांक 19.08.2014 के अनुसार जो 01.09.2014 से प्रभाव में आई, योजना के अंतर्गत 1,000/- रूपये से कम पेंशन पाने वाले

सभी सदस्य, विधवा/विधुर, अशक्त, नामिती और माता-पिता पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। इस अधिसूचना से पेंशनभोगी बच्चे और अनाथ भी लाभान्वित हुए हैं जिनकी न्यूनतम पेंशन क्रमश: प्रति माह 250/- रूपये और 750/- रूपये होगी।

(ग) और (घ): पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत 16.10.2014 को श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) ऑनलाईन पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु इकाईयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) आबंटित की जाती है।

(ii) उद्योग द्वारा स्वप्रमाणीकृत, सरलीकृत एकल ऑनलाईन विवरणी दाखिल करना। इकाईयां अलग-अलग विवरणियों के बजाए केवल एकल समेकित ऑनलाईन विवरणी दाखिल करेंगी।

(iii) जोखिमआधारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा पारदर्शी निरीक्षण योजना और श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों की 72 घंटों के भीतर अनिवार्य अपलोडिंग।

(iv) इस पोर्टल की सहायता से समय पर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1154

बुधवार, 6 मई, 2015/16 वैशाख, 1937(शक)

डनलप के शाहगंज हुगली इकाई के भविष्य निधि और उपदान की देयताओं का भुगतान न किया जाना

1154. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि डनलप के शाहगंज हुगली स्थित ईकाई के कर्मचारियों को गत दस वर्षों से उनकी भविष्य निधि (पीएफ) और उनके उपदान का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित कामगारों को उनका पीएफ और उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): मैसर्स डनलप कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापन है तथा इसका अपना निजी न्यास है। कामगारों का भविष्य निधि का अंशदान स्थापन द्वारा न्यास को भेजा गया। तथापि, न्यास ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा न्यासियों को जारी अनुदेश के बावजूद कामगारों के भविष्य निधि देयों का भुगतान नहीं किया है। तथापि, पेंशन और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) के दावे ईपीएफओ द्वारा नियमित रूप से निपटाए जा रहे हैं।

उपदान के गैर-भुगतान का कोई भी आवेदन संबंधित प्राधिकारियों के पास लंबित नहीं है।

(ग): प्रभावित कामगारों के देय लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए न्यासी बोर्ड और स्थापन के विरुद्ध ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:

i) छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास के गबन के लिए न्यासी बोर्ड और स्थापन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दायर की गई है।

ii) विवरणी प्रस्तुत न करने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत समुचित न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है।

iii) राज्य सरकार के विचारार्थ स्थापन को मंजूर छूट को निरस्त करने के लिए समुचित सरकार अर्थात पश्चिम बंगाल सरकार को सिफारिश भी दी गई है।

iv) चूंकि समापन याचिका चूककर्ता कंपनी के लेनदारों द्वारा कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई है, इसलिए न्यासी बोर्ड द्वारा चूके गए पीएफ देयों संबंधी दावे पीएफ देयों की वसूली हेतु ईपीएफओ द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के समक्ष दायर किए गए हैं।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1965

बुधवार,13 मई, 2015/23 वैशाख, 1937 (शक)

भविष्य निधि पेंशनरों के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

1965. डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सभा में 3 सितम्बर, 2013 को याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 147 के माध्यम से उठाए गये प्रश्न के संदर्भ में भविष्य निधि पेंशनरों के हितों में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

प्रतिवेदन समिति की 147वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में सरकार के अंशदान को 1.66% से बढ़ाकर 8.33% किया जाए ताकि 3,000/- रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम पेंशन स्तर तक पहुंचने में सहायता मिल सके।

समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई और यह तथ्य उजागर हुआ कि यदि सरकार के अंशदान को 1.66% से बढ़ाकर 8.33% किया जाता है, जैसाकि समिति ने सिफारिश की है, तो इससे सरकार पर काफी अधिक वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। ऐसा अनुमान था कि वर्ष 2013-14 के लिए इस सिफारिश के क्रियान्वयन में 16,417 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 जोकि एक अंशदायी योजना है, में सभी प्रकार के भुगतानों का दायित्व निधियों की आस्तियों से पूरा किया जाता है। इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता से बिना समझौता किए 3,000/- रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम पेंशन के उच्चतर स्तर को पाना संभव नहीं है। तथापि, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 19.8.2014 की अधिसूचना संख्या सां.का.नि 593 (अ) के माध्यम से सबसे कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता के माध्यम से 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन के उपबंध को 01.09.2014 से क्रियान्वित किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2015 की बैठक में वर्ष 2014-15 से आगे भी कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1973

बुधवार,13 मई, 2015 23 वैशाख, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगियों हेतु चिकित्सा लाभ

1973. श्री राज बब्बर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन एवं ईडीएलआई कार्यान्वयन समिति (पीईआईसी) ने अभी हाल ही में अपने पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है और तदनुसार मंत्रालय को इसके अनुमोदन हेतु भेजा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगियों को अभी तक कोई चिकित्सा सुविधाएं/लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;
(ङ) यदि ऐसी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है तो कितने पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे; और
(च) सरकार द्वारा पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशन धारकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) कार्यान्वयन समिति (पीईआईसी) के विचाराधीन है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 और इसके तहत बनाई गई योजनाओं में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशन धारकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रावधन नहीं है।

(ङ) और (च): 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ईपीएस, 1995 के तहत 46,90,667 पेंशन धारक हैं जो ईपीएस, 1995 के तहत चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाने पर लाभान्वित होंगे।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1972

बुधवार,13 मई, 2015 / 23 वैशाख, 1937 (शक)

निजी फर्मों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान राशि को जमा करने से बचना

1972. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री को यह जानकारी है कि दिल्ली सहित देश में निजी फर्में कर्मचारियों को नाम मात्र के वेतन पर प्रबंधक अथवा इससे उच्च पदों पर नियुक्त करती हैं ताकि उनके भविष्य निधि अंशदान से छुटकारा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निजी फर्में कर्मचारियों के भविष्य निधि की राशि उनके खातों में जमा नहीं करवा रही हैं;

(ग) उपर्युक्त कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के क्या प्रावधान हैं और अब तक कितनी फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या मंत्रालय उपर्युक्त सभी तथ्यों की जांच करवाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के स्थापनों द्वारा संवितरित मजदूरी संबंधी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त इन स्थापनों द्वारा अंशदान जमा किए जाने से संबंधित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) के ध्यानार्थ ऐसे दृष्टांत आए हैं जिनमें दिल्ली सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त निजी फर्में अपने कामगारों के संबंध में भविष्य निधि जमा कराने में असफल रहीं।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के अनुसार चूककर्ता स्थापनों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:

(i) नियोक्ताओं/स्थापनों(सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के) द्वारा देय बकायों के मात्रा-निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत कार्यवाहियां की जाती हैं। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान धारा 7क के अंतर्गत 10,481 जांचें आरंभ की गई हैं।

(ii) बकायों की विलंब से की गई अदायगी के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत हर्जाने लगाए जाते हैं तथा अधिनियम की धारा 7ध के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान धारा 14ख के अंतर्गत 1,71,001 जांचें आरंभ की गई हैं।

(iii) नियोक्ताओं/स्थापनों से देय बकाओं की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत वसूली कार्रवाईयां की जाती हैं जिसमें स्थापन या नियोक्ता की चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री; स्थापन या नियोक्ता की चल और अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु प्राप्तकर्ता की नियुक्ति; तथा नियोक्ता की गिरफ्तारी और सिविल जेल में उसे कैद करना शामिल हैं।

(iv) देयों के जमा न करने तथा विवरणियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाईयां की जाती हैं। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान 1064 अभियोजन मामले दायर किए गए हैं।

(v) कर्मचारियों के वेतनों से भविष्य निधि की कटौती करने तथा इन्हें जमा नहीं करने, जोकि आपराधिक विश्वास भंग के समान है, के लिए भारतीय दण्ड संहिता(आईपीसी) की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें दायर की गई हैं। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान पुलिस प्राधिकारियों के पास ऐसी 157 शिकायतें दायर की गई हैं।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन उपबंधों के अनुसार कर्मचारी के आसीन पद पर ध्यान दिए बिना उसके वेतन (वेतन की 15,000/- रुपये की सांविधिक अधिकतम सीमा तक) से अंशदान की कटौती की जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1966

बुधवार,13 मई, 2015/23 वैशाख, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना

1966. डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत बेहतर जीवन यापन हेतु न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपए के सम्मानजनक स्तर तक मानदेय पेंशन के रूप में किये जाने तथा महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ाने तथा पेंशन को पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित किये जाने संबंधी पेंशन लाभार्थियों की मांगें पूरी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार जो कर्मचारी 16.11.95 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उनके पेंशन की गणना उनकी पेंशनयोग्य सेवा और पेंशनयोग्य वेतन के आधार पर की जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 मुख्य रुप से एक स्व-वित्तपोषित योजना है जो "परिभाषित लाभ" और "परिभाषित अंशदान" के संयुक्त अंशों पर आधारित है। तदुनसार, यह योजना देय अंशदान की दर के साथ-साथ अनुमेय लाभों की मात्रा की भी व्याख्या करती है। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 32 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार एक मूल्यांकक की नियुक्ति करती है। ऐसे मूल्यांकन रिपोर्टों और कर्मचारी पेंशन निधि की स्थिति के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना,1995 की व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए तथा लाभ में किसी प्रकार की वृद्धि के कारण इस योजना पर पड़ने वाले बीमांकीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना अपेक्षित है। अत: 3,000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन लाखों मौजूदा पेंशनधारकों तथा करोड़ों भावी पेंशनधारकों को प्रदान करने से इसका काफी बड़ा वित्तीय प्रभाव होगा और इससे मौजूदा पेंशन निधि बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, पेंशन को सूचकांक से संबद्ध करने अर्थात पेंशन में वृद्धि करके इसको मुद्रास्फीति के सापेक्ष रखने के मुद्दे पर कर्मचारी पेंशन योजना,1995 की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था और इसे कर्मचारी पेंशन योजना,1995 जैसी वित्तपोषित योजना जिसमें 8.33% तथा 1.66% की निर्धारित दर से नियोक्ता एवं सरकार के अंशदान द्वारा चलाए जाने को अव्यावहारिक माना गया था।

तथापि, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 19.8.2014 की अधिसूचना संख्या सां.का.नि 593 (अ) के माध्यम से सबसे कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता के माध्यम से 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन के उपबंध को 01.09.2014 से क्रियान्वित किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2015 की बैठक में वर्ष 2014-15 से आगे भी कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

*****